IndianOil
पाइपलाइन्स प्रभाग :
Pipelines Division :

Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division, Eastern Region Pipelines
City Gas Distribution Project - Madhepura
2nd & 3rd Floor, Ward No. 20, Ghosh Path, Azad Nagar
Madhepura - 852113 (Bihar)

(22)

191
12/02/2021
(कैम्प एवं वन संरक्षण संभाग)

Ref: IOCL/ERPL/CGD-MDH/Forest/03 Date: 08.02.2021

To,

The Nodal Office,
APCCF, Patna, Bihar

Sub: **Request for NOC for laying of Steel network as a part of City Gas Distribution Project along the Notified forest roads SH-91, NH-106 & NH-107 in Madhepura & Saharsa district under Saharsa Division.**

Ref: **Your Letter Reference No: व॰स॰/78/2020-1135 dated 11.12.2020**

Dear Sir,

IndianOil has been awarded City Gas Distribution (CGD) project for the geographical area in Bihar which consists of Khagaria, Saharsa and Madhepura districts by PNGRB Board. Under this project, major works envisaged are design of CGD network, pipeline laying, network for PNG and CNG connections etc., which has to be achieved as per PNGRB guidelines.

In reference to demand note letter *व॰स॰/78/2020-1135 dated 11.12.2020*, IOCL has deposited the net project value (NPV) of total amount Rs. 383748/-. E- challan of the same is enclosed for your reference.

Since this is a time bound project of National importance, contributing to national prosperity, we solicit your most expeditious action to grant the NOC for laying the pipeline along the Notified forest lands.

Thanking You,

Yours Sincerely,

ED (construction)
ERPL Pipelines, Patna

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

Encl:

1) Questionnaire for compliance
2) E Challan no: SBIN321035116623
3) Undertaking for NPV

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) – सह – नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना से निर्गत पत्रांक – व°स°/78/2020-1135 दिनांक 11.12.2020 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं°	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्र में उल्लेखित शर्त	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की टिप्पणी
1.	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैज्ञानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
2.	अपयोजित होने वाली **1.22603** हे° वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई°), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत **6.26** लाख रु° प्रति हे° की दर पर कुल रु° **7,67,495**- की 50% राशि रु° 3,83,748/- (तीन लाख तिरासी हज़ार सात सौ अड़तालीस) मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं०-व°स°/*78/2020-1135* दिनांक-11.12.2020 के अनुपालन में 3,83,748/- रुपये NPV के मद में बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है।
3.	NPV मद की कुल राशि रु° 3,83,748/- (तीन लाख तिरासी हज़ार सात सौ अड़तालीस) मात्र को मंत्रालय के वेव-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।	क्रमांक – 02 के अनुसार NPV के मद के लिये कुल मांग रुपया 3,83,748/- को UTR No.-SBIN321035116623 दिनांक-04.02.2021 से बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है। प्रति संलग्न है। (**अनुलग्नक-क**)
4.	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।	जमा कि गयी राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित हैं। साथ ही UTR की मूल प्रति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्र सं०-IOCL/ERPL/CGD-MDH/Forest/03 दिनांक-08.02.2021 से विभाग को उपलब्ध करा दी गयी हैं।
5.	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्दता देनी होगी की NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	सहमति पत्र संलग्न है। (**अनुलग्नक-ख**)
6.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा। इस भूमि पर कोई भी वृक्ष का पातन नहीं होगा।
7.	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामाग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामाग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
8.	भूमि की सतह से पाईपलाइन 1.5 मीटर नीचे बिछाई जायेगी। पाईपलाइन बिछाने के बाद भूमि को समतल किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
9.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथासंभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथा संभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
... निकेतन, ... नगर, बेली रोड, पटना-801503

(20)

10.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-II स्वीकृति के पूर्व जिला पदाधिकारी, मधेपुरा (0.85972 हे॰) एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा (0.36631 हे॰) द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
11.	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
12.	वन क्षेत्र के भीतर मज़दूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
13.	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मज़दूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
15.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जायेंगे।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
16.	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
17.	उपभोक्ता अभिकरण [मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰, पटना] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन / हस्तान्तरण / अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kalikel Nagar, Bailey Road, Patna-801503

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-02-2021

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	7245173902
MoEF/SG File No.	VAN BHUMI 112/2020
Location.	BIHAR
Address.	ERPL Pipelines Construction OfficePatna
Amount(in Rs)	383748/-

Amount in Words: Three Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150627245173902 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m[...]

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

SBIN321035116623

भारतीय स्टेट बैंक/STATE BANK OF INDIA
बेकर पैलेस गोल्फ रोड, पटना Br. Code: 35..
- 4 FEB 2021
प्रकाश OM PRAKASH SHARMA
F. NO.-3902521
4 FEB 2021

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
परियोजना निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
... सिनेमा, पाटलिपुत्र नगर, बेली रोड, पटना-801503
... Nagar, Bailey Road, Patna-801503

(18)

IndianOil
पाइपलाइन्स प्रभाग :
Pipelines Division :

Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division, Eastern Region Pipelines
City Gas Distribution Project - Madhepura
2nd & 3rd Floor, Ward No. 20, Ghosh Path, Azad Nagar
Madhepura - 852113 (Bihar)

Ref: IOCL/ERPL/CGD-MDH/Forest/03 **Date: 08.02.2021**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

With reference to your letter no. व॰स॰/78/2020-1135 dated 11.12.2020, issued by Additional Principal Chief Conservator of Forest (CAMPA) Patna, it is to certify that Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Patna agrees to pay additional amount of NPV, if so demanded on account of increasing NPV rate.

For and on behalf of IOCL

ED (construction)
ERPL Pipelines, Patna

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
कार्यकारी निदेशक (निर्माण)/Executive Director (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
परियोजना निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
कार्तिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Karliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमण्डल, सहरसा ।

वन भवन, मत्स्यगंधा रोड, सहरसा-852201, दूरभाष : 06478-222603/ फैक्स : 06478-222603
ई-मेल dfosaharsa@gmail.com, divfosaharasa-bih@gov.in

पत्रांक-669/सहरसा, दिनांक:-24.04.2021/

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा ।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-
नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण)
बिहार, पटना ।

विषय :- मधेपुरा एवं सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं NH-107 मधेपुरा, सहरसा पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG & PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.22603 हे0 के वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार कानुन (FRA-2006) के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बंध में ।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा का क्रमशः पत्रांक-377-2 दिनांक-07.04.2021 एवं पत्रांक-135 दिनांक-08.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मधेपुरा एवं सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं NH-107 मधेपुरा-सहरसा पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG & PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.22603 हे0 के वन भूमि अपयोजन जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा के स्तर से निर्गत FRA-2006 प्राप्त प्रमाण-पत्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न संप्रेषित की जा रही है ।

<u>अनु0-यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा ।

ज्ञापांकः-669/सहरसा, दिनांकः-24.04.2021/

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा ।

e-mail
4PM

(26)

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक..135...../वि0

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा,
मधेपुरा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सहरसा।

मधेपुरा, दिनांक....08..../....04..../2021

विषयः मधेपुरा एवं सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 उदाकिशनगंज, मधेपुरा एवं NH-107 मधेपुरा सहरसा पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG & PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.22603 हे0 के वन भूमि अपयोजन हेतु वनाधिकार कानुन (FRA 2006) के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक-1355/सहरसा दिनांक-17.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मधेपुरा एवं सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 उदाकिशुनगंज, मधेपुरा एवं NH-107 मधेपुरा, सहरसा पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG & PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वनाधिकार कानुन (FRA 2006) के तहत प्रमाण-पत्र की माँग की गई थी। जो इस पत्र के साथ FRA 2006 प्रमाण-पत्र संलग्न कर भेजी जाती है।

पावती स्वीकार की जाय।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा,
मधेपुरा।

कार्यालय, जिला पदाधिकरी, मधेपुरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.......76.......दिनांक.....13-02-2021.........

प्रमाणित किया जाता है कि मधेपुरा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी इंडियन ऑयल कारर्पोरेशन लि0 द्वारा NH106/107 रैखिक परियोजना निर्माण स्थल शहरी गैस वितरण परियोजना उदाकिशुनगंज से मधेपुरा तक कुल किलोमीटर 38.568 में पड़ने वाले पाठ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.85972 हे0, रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्रांक–1355, दिनांक–17.09.2020 द्वारा FRA2006 निर्माण पत्र निर्गत करते हुए अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदआलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताविक रेखिक विकास परियोजना (कार्य का–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षा रोपण दिनांक–13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

11.2.21

स्थान :–मधेपुरा।

तिथि :– 13-02-2021.

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(२४)

समाहरणालय सहरसा

(जिला [illegible] शाखा)

पत्रांक 317-2 / भि०

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,

सहरसा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

सहरसा वन प्रमंडल,सहरसा।

दिनांक 07-04-2021

विषयः- सहरसा जिलान्तर्गत NH-106 एवं NH-107 (मधेपुरा-सहरसा) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG & PNG पाइप लाइन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.36631 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु वन अधिकार कानून FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रतिवेदन उपलबध करने के संबंध में।

प्रसंगः- वन प्रमंडल पदाधिकारी का पत्रांक– 1355 दिनांक 17.09.2020।

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल
पत्रांक 497
दिनांक 10/04/2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र स० – 317-2 दिनांक 24.03.2021 मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर के भेजा जाता है।

अनु. :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

6.4.21

अपर समाहर्ता,

सहरसा

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सहरसा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा–निर्देश के तहत)

संख्या – 317-2 दिनांक 24/03/2021

प्रमाणित किया जाता है कि सहरसा जिले में प्रयोक्ता एजेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा NH 106/107 रैखिक परियोजना निर्माण स्थल शहरी गैस वितरण परियोजना, सहरसा से मधेपुरा तक कुल किलोमीटर 18.718 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.36631 हे0 रकवा के अपयोजन हेतु संबंधित अंचल अधिकारी, कहरा के पत्रांक 245 दि0 11.02.2021, अंचल अधिकारी, सौरबाजार के पत्रांक 326–2 दिनांक 03.02.2021 एवं अंचल अधिकारी, पतरघट के पत्रांक 69–2 दिनांक 03.02.2021 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 1355 दिनांक 17.09.2020 द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जॉचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कार्य का–1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गॉवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

स्थान :– सहरसा।
दिनांक :–